श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 1/11 से 12/11

भाग—एक

1 **प्रस्तावनाः—**

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3—3/85—पार्ट—II दिनांक 17.1.1989 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के दृष्टिगत श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध के अवधि 1/11 से 12/11 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध में निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत्त रहेः—

पदनाम	अधिकारी का नाम	अवधि
उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध	श्री राजेन्द्र सिंह (आई0ए0एस)	20.09.10 से लगातार
उप—मण्डल अधिकारी (ना0) बड़सर एवं अध्यक्ष बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध	श्री ओ0पी0 ठाकुर (एच0ए0एस)	24.5.10 से लगातार
मन्दिर अधिकारी, बाबा बालक नाथ मन्दिर दियोट सिद्ध	श्री सूरज प्रकाश (तहसीलदार)	19.4.10 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध के अवधि 1/2011 से 12/2011 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**विवरण**	**पैरा सं0**	**राशि (लाख में)**
1	कम दरो पर राशि निवेशित करने के कारण लगभग कम ब्याज की प्राप्ति	5 (क)	6.49
2	बैंक द्वारा सावधि जमा योजना में नवीनीकरण पर कम क्रेडिट दिया जाना	5 (ख)	0.14
3	प्रवीणता वेतन वृद्धि गलत तरीके से प्रदान करने के फलस्वरूप अनियमित भुगतान	9 (ट)	0.35
4	आयकर विभाग को दण्ड स्वरूप किया गया भुगतान	11 (ग)	0.27
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल का अनियमित भुगतान	12. (ख)	1.67
6	विज्ञापनों पर अनियमित रूप में व्यय की गई राशि	14	4.43
7	हैंडपम्प लगवाने हेतु के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	18	9.99

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–A"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर मन्दिर न्यास द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः मन्दिर न्यास द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर न्यास के अवधि 1/2011 से 12/2011 वर्तमान निधि लेखों का अंकेक्षण/जॉच परीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, सर्व श्री तारा चन्द महन्त, (सहायक नियन्त्रक), राजवीर सिंह (अ0अ0) तथा श्री नरेन्द्र कुमार (आ0स0) द्वारा दिनांक 04.09.2012 से 16.12.2012 के दौरान दियोट सिद्ध में किया गया। माह 04/2011 का चयन आय की जांच हेतु तथा माह 11/11 का चयन व्यय की जांच हेतु किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर न्यास के मन्दिर अधिकारी/नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त न्यास द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रस्तुत/उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास के अवधि 1/2011 से 12/2011 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹66400/–बनता है जिसे राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु मन्दिर अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या–AC–134 दिनांक 15.12.2012 द्वारा अनुरोध किया गया। अतः उपरोक्त राशि यथाशीध्र बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निर्देशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को भेजी जानी सुनिश्चित की जाए।

4 वित्तीय स्थितिः–

मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण अवधि 01/2011 से 12/2011 के निधि लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही, जिसका बैंक खातों में शेष राशि सहित विस्तारपूर्वक विवरण **"परिशिष्ट–B"** पर भी दिया गया है।

(क) (i) दान व चढ़ावा निधिः–

विवरण	राशि
दिनांक 1.1.11 को प्रारम्भिक शेष	179263591.85
वर्ष के दौरान प्राप्त आय	136962947.00
ब्याज	23805774.00

कुल प्राप्तियां	**340032312.00**
वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	(–)116283489.00
दिनांक 31.12.11 को अन्तिम शेष	**223748823.85**

नोटः'– दान व चढ़ावा निधि खाते की वित्तीय स्थिति में दान व चढ़ावा निधि, मन्दिर निधि, गिरावट/ह्रास निधि तथा संचित निधि इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। दान व चढ़ावा निधि में उक्त प्रारम्भिक शेष का आंकलन निम्न प्रकार से किया गया है जिसमें प्रतिभूति निधि का प्रारम्भिक शेष सम्मिलित नहीं है, क्योंकि प्रतिभूति निधि की वित्तीय स्थिति अलग से दर्शाई गई है।

कुल प्रारम्भिक शेष	180130556.85
(–) प्रतिभूति का प्रारम्भिक शेष	866965.00
दान व चढ़ावा निधि का प्ररम्भिक शेष	179263591.85

(ii) दिनांक 31.12.11 को बैंक खाते व सावधिक जमा खाते में जमा राशि का विवरण

शेष राशि का विवरण	**शेष राशि**
बैंक खाते का शेष	
दान व चढ़ावा खाते	15893599.85
मन्दिर निधि खाते	26228.00
गिरावट/ह्रास निधि	10852.00
सचिंत निधि	19011.00
सावधिक जमा खाते का शेष	
दान व चढ़ावा	117341247.00
मन्दिर निधि	56422246.00
गिरावट/ह्रास निधि	17129164.00
सचिंत निधि	17032971.00
31.12.11 को बैंक खाते व सावधिक खाते का अन्तिम शेष	**223875318.85**

(iii) बैंक समाधान विवरणः—

विवरण	**राशि**
दिनांक 31.12.11 को रोकड़ वही का अन्तशेष	223748823.85

जमाः—

बैंक द्वारा बचत खाते में जमा (क्रेडिट) किया गया ब्याज जोकि,
दिनांक 31.12.11 को रोकड़ वही में नहीं लिया गया।

दिनांक	**खाता सं0**	**राशि**	
31.12.11	811	12692	
31.12.11	108	71676	
31.12.11	109	42127	(+)126495.00
दिनांक 31.12.11 को बैंक में बचत व सावधि खातों का अन्तिम शेष			223875318.85

(ख) प्रतिभूति निधिः—

विवरण	**राशि**
दिनांक 1.1.11 को प्रारम्भिक शेष	866965.00
वर्ष के दौरान प्राप्त आय	474691.00
ब्याज	28140.00
कुल प्राप्तियां	**1369796.00**
वर्ष के दौरान किया गया व्यय	(—) 471147.00
दिनांक 31.12.11 को अन्तिम शेष	**898649.00**
दिनांक 31.12.11 को बैंक खाते में शेष राशि का विवरणः—	
प्रतिभूति निधि (खाता सं0 415 का0के0सं0 बैंक दियोटसिद्ध)	**898649.00**

(ग) जलपान गृह निधिः—

विवरण	**राशि**
दिनांक 1.1.11 को प्रारम्भिक शेष	5925479.25
वर्ष के दौरान प्राप्त आय	3953027.00

ब्याज	417416.00
कुल प्राप्तियां	**10295922.25**
(–)वर्ष के दौरान किया गया व्यय	(–) 3015141.00
दिनांक 31.12.11 को अन्तिम शेष	**7280781.25**

दिनांक 31.12.11 को बैंक खाते व सावधिक जमा खाते में जमा राशिः–

विवरण	**राशि**
बैंक खाते का शेष	
जलपान गृह निधि खाते में जमा राशि (खाता सं0 20580100000–127 यूको बैंक दियोटसिद्ध)	121856.25
सावधिक जमा खाते का शेष	
जलपान गृह निधि खाते में जमा राशि	7158925.00
दिनांक 31.12.11 कों बैंक खाते व सावधिक खाते का अन्तिम शेष	**7280781.25**

(घ) सिद्ध ऑचल सराय निधिः–

विवरण	**राशि**
दिनांक 1.1.11 को प्रारम्भिक शेष	79273.00
वर्ष के दौरान प्राप्त आय	482945.00
ब्याज	3712.00
कुल प्राप्तियां	**565930.00**
(–)वर्ष के दौरान किया गया व्यय	(–) 138613.00
दिनांक 31.12.11 को अन्तिम शेष	**427317.00**
दिनांक 31.12.11 को सिद्ध आंचल सराय निधि खाते में शेष जमा राशि (खाता सं0 20580110000205 यूको बैंक दियोटसिद्ध)	**427317.00**

नोटः– अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **"परिशिष्ट–B"** जिसमें दान व चढ़ावा निधि के बचत खातों में जमा राशियों का विवरण दिया गया है, का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि क्रम संख्या 5 के अनुसार ₹778.′55 दिनांक 31.12.2011 को पंजाब नैशनल बैंक/मैहरे मे

ंजमा दर्शाई गई है लेकिन उक्त राशि से सम्बन्धित कोई भी पास बुक/विवरण अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत किए गए तथा न ही बैंक शेष पुष्टिकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिस कारण उक्त बैंक के बचत खाते जमा शेष राशि की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित पास बुक/विवरण को उचित स्त्रोत से प्राप्त करके, उक्त बैंक खाते मे ंजमा शेष राशि की जांच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

5 सावधिक जमा योजनाः–

(क) कम दरों पर राशि निवेशित करने के कारण लगभग ₹6.49 लाख की कम ब्याज की प्राप्ति के बारे मेंः–

अंकेक्षण जॉच के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा सावधि जमा योजना के अन्तर्गत राशियों को विभिन्न बैंकों की शाखाओं में निवेश किया गया है जिन पर बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा अलग–2 दर से ब्याज दिया गया जिस कारण मन्दिर न्यास को सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों पर लगभग ₹649296/–ब्याज की कम प्राप्ति हुई है जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **"परिशिष्ट–C"** में दिया गया हैं। अतः मन्दिर न्यास को सावधि जमा योजना के अन्तर्गत ब्याज की इस राशि हुई हानि का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस प्रकरण में न्यास स्त्तर पर विस्तृत जांच करके ब्याज की हुई हानि का यह मामला सम्बन्धित बैंकों की विभिन्न शाखाओं में उठाया जाए तथा भविष्य में राशियों को उस बैंक की शाखा की सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाऐ जिस बैंक की शाखा द्वारा अधिकतम दर से ब्याज दिया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

(ख) बैंक द्वारा सावधि जमा योजना में नवीनीकरण पर ₹14636/–का कम क्रेडिट दिया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक बड़सर व चकमोह में सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर परिपक्वता तिथि व नवीनीकरण की तिथि के बीच की अवधि का ब्याज बैंक द्वारा नहीं दिया गया, जबकि राशि उसी बैंक मे ंजमा की गई जिसके कारण मन्दिर न्यास को ₹14636/–ब्याज की हानि उठानी पड़ी जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से हैः–

निधि	*निवेशित राशि*	*बैंक नाम*	*परिपक्वता तिथि*	*नवीनकरण तिथि*	*दर*	*जितनी ब्याज की हानि उठानी पड़ी*
दान व चढ़ावा	12539234	का0के0स0 बैंक बडसर	31.07.11	03.08.11	10.25%	7318
दान व चढ़ावा	12539234	का0के0स0 बैंक चकमोह	31.7.11	03.8.11	10.25%	7318
					कुल योग	**₹14636**

उक्त वर्णित ₹14636/–का क्रेडिट लेने के लिए यह मामला सम्बन्धित बैंक में उठाया जाये तथा बैंक से ₹14636/–ब्याज की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

(ग) सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर बचत दर से ब्याज लगाने के कारण ₹3084/– के ब्याज की कम प्राप्तिः–

जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर, परिपक्वता तिथि व नवीनीकरण की तिथि के बीच की अवधि के लिये बैंक द्वारा बचत दर से ब्याज दिया गया, जबकि उक्त अवधि में राशियॉ सम्बन्धित बैंक में ही जमा थी। उक्त अनियमितता के कारण मन्दिर न्यास को ₹3084/– ब्याज की हानि उठानी पड़ी जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार हैः–

निधि / बैंक का नाम	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	नवीनीकरण तिथि	जितने दिन बचत दर से ब्याज दिया	बचत दर	बचत राशि	सावधि दर	सावधि राशि	जितनी ब्याज की हानि उठाई
दान व चढ़ावा	1279922	29.07.11	04.8.11	5 दिन	4.75%	842	9.25	1679	837
गिरावट	560464	10.7.11	02.8.11	22 दिन	4%	1351	10.25	3598	2247
								कुल योग	₹3084

यदि उक्त सावधि जमा का नवीनीकरण समय पर कर लिया गया होता तो इस ब्याज की हानि से बचा जा सकता था। अतः यह मामला भी सम्बन्धित बैंक में उठाया जाये तथा ब्याज की हानि की ₹3084/–की वसूली सम्बन्धित बैंक से की जानी सुनिश्चित की जाये। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

6 सोना एवं चांदी का विवरणः–

(क) सोने का विवरणः– मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–D)** के अनुसार सोने का विवरण तथा सोने का स्टॉक में जमा विवरण निम्न प्रकार से रहाः–

विवरण	कि0ग्रा0	ग्राम	मिलीग्राम
1.1.11 को अथशेष (शुद्ध एवं अशुद्ध)	17	709	089
वर्ष 2011 में प्राप्त सोना	01	337	750
31.12.11 को अन्तशेष (शुद्ध एवं अशुद्ध)	19	046	839

स्टॉक में जमा सोने का विवरणः–

विवरण	कि0ग्रा0	ग्राम	मिलीग्राम
पी0एन0बी0 मैहरे (लाकर) मे जमा	09	199	000
मन्दिर सेफ में जमा (शुद्ध सोना)	00	093	030

मन्दिर सेफ में जमा (अशुद्ध सोना)	05	798	710
स्वर्ण वॉड योजना मे ंजमा शुद्ध सोना	03	956	099
31.12.11 को अन्त शेष (शुद्ध एवं अशुद्ध)	19	046	839

(ख) चांदी का विवरणः—

मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट—D) के अनुसार चांदी का विवरण चांदी का स्टॉक से विवरण निम्न प्रकार से रहाः—

विवरण	**क्विंटल**	**कि0ग्रा0**	**ग्राम**	**मिलीग्राम**
1.1.11 को अथशेष (शुद्ध एवं अशुद्ध)	02	06	471	200
वर्ष 2011 में प्राप्त अशुद्ध चांदी	00	16	407	120
31.12.11 को अन्तशेष (शुद्ध एवं अशुद्ध)	02	22	878	320

स्टॉक अनुसार चांदी का जमा विवरणः—

विवरण	**क्विंटल**	**कि0ग्रा0**	**ग्राम**	**मिलीग्राम**
पी0एन0बी0 मैहरे (लाकर) मे ंजमा (शुद्ध चांदी)	01	26	280	000
मन्दिर सेफ में जमा (शुद्ध चांदी)	00	96	660	320
दिनांक 31.11.'12 को अन्तशेष (शुद्ध व अशुद्ध)	02	022	946	320
अन्तरः—				
(स्टॉक के अनुसार जितनी चांदी होनी चाहिए थी)	02	22	946	320
(स्टॉक के अनुसार जितनी चांदी दर्शाई गई)	02	22	876	320
अन्तरः—	**00**	**00**	**68 ग्राम**	**000**

नोटः— दिनांक 26.9.11 को दान स्वरूप प्राप्त 68 ग्राम चांदी की प्रविष्टि सोना व चांदी स्टाक रजिस्टर में नहीं की गई थी जिस कारण दिनांक 31.12.11 तक स्टॉक रजिस्टर तथा जमा विवरण में 68 ग्राम अन्तर पाया गया। स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न की गई 68 ग्राम चांदी को बाद में दिनांक 1.9.12 को स्टॉक रजिस्टर के पृ0सं0 204 पर दर्ज कर लिया गया है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है।

7 **बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा का क्रेडिट न दिये जाने बारेः–**

विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार दान स्वरूप माह 5/11 तथा माह 9/11 में प्राप्त विदेशी मुद्रा को यूको बैंक दियोटसिद्ध शाखा में विनिमय हेतु जमा करवाया गया।

CURRENCY	**माह 5/11 में जमा करवाई गई मुद्रा**	**माह 9/11 में जमा करवाई गई मुद्रा**
England Pond	910	250
USA Doller	998	85
Canada Doller	315	100
Rial	88	22
Euro	35	110
UAF Doller	190	425
Australlian Doller	100	NIL
Newzeeland Doller	20	05

उपरोक्त विवरणानुसार बैंक में जमा करवाई गई विदेशी मुद्रा का विनिमय करके सम्बन्धित बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया था। अतः सम्बन्धित बैंक से यह मामला उठाकर विदेशी मुद्रा का विनियम करवाकर अपेक्षित क्रेडिट लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 **आयः–**

(क) किराये के रूप में ₹7450/–की कम वसूलीः–

जॉच के दौरान पाया गया कि उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक), बड़सर एवं अध्यक्ष न्यास, बाबा बालक नाथ मन्दिर, दियोटसिद्ध के पत्र क्रमांक संख्या–219/टी0ए0–1/एस0डी0बी0/2011 दिनांक बडसर 26.2.2011 के अन्तर्गत सरायं नं0 07 व 08 के कमरों का किराया ₹200/–से बड़ाकर ₹250/–कर दिया गया है। उक्त पत्रांक को मन्दिर न्यास कार्यालय द्वारा डायरी संख्या–256 दिनांक 28.02.11 द्वारा डायरी किया गया था परन्तु न्यास द्वारा बढ़ी हुई दरों के अनुरूप किराये की वसूली दिनांक 15.04.11 से शुरू की गई। इस प्रकार अवधि 01.03.11 से 14.04.11 तक सराय नं0 07 व 08 के

कमरों की निम्नविवरणानुसार किराये के रूप में ₹7450/–की कम वसूल की गई, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **"परिशिष्ट–E"** में दिया गया है।

विवरण	**राशि**
सरायं नं0 8 की कुल जितनी किराये की राशि कम वसूल की गई।	7250
सरायं नं0 07 की कुल जितनी किराये की राशि कम वसूल की गई	200
कुल जितनी किराये की राशि कम वसूली	7450

अतः अवधि 01.03.11 से 14.03.11 के दौरान ₹250/– की अपेक्षा ₹200/– की दर से किराये की वसूली का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा किराये के रूप में कम वसूली की गई ₹7450/–की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ख) दान से सम्बन्धित प्राप्त राशियों को देरी से जमा करवाने बारेः–

जांच के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दान से सम्बन्धित प्राप्तियों को दान निधि खाते में देरी से जमा करवाया जा रहा है, जिसके कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैः–

दिनांक	**रसीद सं0**	**चालान संख्या / दिनांक**	**बैंक में जमा करवाने को तिथि**	**राशि**
28.4.11 से 05.5.11	5294 से 5298	4247 / 12.5.11	12.5.11	1903
2.4.11 से 8.4.11	5532 से 5565	4242 / 9.4.11	9.4.11	12409

अतः देरी से बैंक खाते में जमा करवाई गई राशियों का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सम्बन्धित निधि की राशियों को तुरन्त बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ग) दानस्वरूप प्राप्त सामग्री को कम करके दर्शाने बारेः–

जॉच के दौरान पाया गया कि न्यास द्वारा रसीद संख्या–4577 दिनांक 27.04.11 के अन्तर्गत दान/चढ़ावा में 15 कि0ग्रा0 डालडा घी प्राप्त किया गया दर्शाया गया है जबकि चालान संख्या 1489 दिनांक 05.05.11 में उक्त रसीद के अन्तर्गत मात्र 1 किलो ग्रम डालडा घी प्राप्त/दर्शाया गया। इस प्रकार कुल 14 कि0ग्रा0 (15–1) डालडा घी कम दर्शाया

जिसका बाजार मूल्य ₹980/–(14@70)बनता है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹980/–सम्बन्धित कर्मचारी से रसीद संख्या 17064 दिनांक 20.11.12 के अन्तर्गत वसूल करके न्यास की निधि में जमा करवा दी गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस तरह की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

(घ) दानस्वरूप प्राप्त राशि को कम करके जमा करवाने बारेः–

जॉच पर पाया गया कि रसीद संख्या 12770 से 78 के अन्तर्गत ₹2360/–दान के रूप में प्राप्त की गई, लेकिन उक्त के विरूद्ध चालान संख्या 1677 दिनांक 10.4.11 के अन्तर्गत ₹2310/–जमा करवाई गई। इस प्रकार ₹50/–कम जमा करवाई। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹50/–सम्बन्धित कर्मचारी से रसीद संख्या 17055 दिनांक 19.11.12 के अन्तर्गत वसूल की गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता का दोहराई जाए।

(ङ) कूपनों की बिक्री से प्राप्त आय की ₹813/– को रोकड़ वही/बैंक खाते में जमा न करवाने बारेः–

कैन्टीन के विक्रय रजिस्टर की जांच पर यह पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01.01.11 से 31.12.11 के दौरान कूपनों की बिक्री से ₹3956158/–की आय प्राप्त हुई, जबकि रोकड़ वही/बैंक पास बुक के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त के विरूद्ध ₹3955345/–ही रोकड़ वही/बैंक में जमा करवाई गई थी। इस प्रकार ₹813/–रोकड़ वही/बैंक में जमा नहीं की गई। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹813/–को चूककर्ता से वसूल करके दिनांक 19.11.12 को यूको बैंक दियोटसिद्ध में उक्त निधि खाते में जमा करवा दिया गया है तथा जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः भविष्य के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस तरह के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

(च) नीलामी से प्राप्त आय की ₹1000/–जमा न करवानाः–

अंकेक्षण जॉच के दौरान पाया गया कि विक्रय रजिस्टर में 2 नग बकरों की नीलामी टोकन सं0 36 व 04 के अन्तर्गत की गई दर्शाई गई है, जिससे ₹1000/–प्रति बकरों की दर से ₹2000/–की आय की प्राप्ति करनी अपेक्षित थी जबकि रसीद संख्या 3721 दिनांक 07.04.11 के अन्तर्गत केवल 1 नग बकरे की ₹1000/–प्राप्त की गई। इस प्रकार शेष 1

नग बकरे की नीलामी की ₹1000/–कम जमा करवाई गई। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹1000/–को चूककर्ता से वसूल करके रसीद संख्या 17054 दिनांक 19.11.12 द्वारा दान निधि खाते में जमा करवा दिया गया जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा स्थल पर ही कर दी गई। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनःवृति को रोकने हेतु आवश्यक पग उठाए जाए।

(छ) सिद्ध ऑचल सरायं तथा सरायं नं0 7 व 8 के आगन्तुक रजिस्टर के रख–रखाव उचित ढ़ंग से न करने बारेः–

जॉच के दौरान पाया गया कि न्यास के सिद्ध आंचल सरायं तथा सरायं संख्या 07 व 08 के आगन्तुक रजिस्टरों पर यात्रियों के आने–जाने का समय, कमरों की संख्या तथा ठहराव की अवधि इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है जिस कारण उक्त सरायों से प्राप्त आय की सही पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मन्दिर न्यास प्रशासन को यह सुझाव दिया जाता है कि उक्त सरायों में ठहरने वाले यात्रियों से सम्बन्धित आगन्तुक रजिस्टरों के अतिरिक्त शेष सभी सरायों के आगन्तुक रजिस्टरो का रख–रखाव उचित ढ़ंग से किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

(ज) मन्दिर न्यास निधि में शिक्षण शुल्क (टयूशन फीस) जमा न करवाने बारेः–

मन्दिर न्यास की रोकड़ वहियों के अवलोकन पर सह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संचालित स्नातक महाविद्यालय संस्कृत महाविद्यालय, मॉडल स्कूल व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कार्यरत्त शिक्षक वर्ग के वेतन व भत्तों का भुगतान मन्दिर न्यास निधियों से किया गया था, परन्तु उक्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों से प्राप्त शिक्षण शुल्क को मन्दिर न्यास निधि में जमा नहीं करवाया गया था। चूंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षण संस्थानों मे ंकार्यरत्त शिक्षक वर्ग को वेतन व भत्तों का भुगतान राजकीय कोष से किया जाता है व हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों से प्राप्त शिक्षण शुल्क को भी राजकीय कोष में जमा किया जाता है, उसी के अनुरूप मन्दिर न्यास के शिक्षण संस्थानों से प्राप्त शिक्षण शुल्क को मन्दिर न्यास निधि अर्थात जिस निधि में से व्यय किया जाता है में उसी जमा किया जाना अपेक्षित है। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकरण में संस्था स्तर विस्तृत जॉच करके शिक्षण संस्थानों से प्राप्त शिक्षण शुल्क को मन्दिर न्यास निधि में जमा/हस्तांतरित किया जाये।

9 संस्थापनाः—

(क) संस्थापना पर किये गये व्यय के बारे मेंः—

मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2011 में संस्थापना पर किये गये व्यय व प्राप्त आय की विवेचना करने पर यह पाया गया कि मन्दिर न्यास को कुल ₹1418.73 लाख की आय प्राप्त हुई जिसमें से **"परिशिष्ट–F"** के अनुसार ₹932.04 लाख संस्थापना पर व्यय की गई जो कि प्राप्त आय का 66**%** (लगभग) भाग बनता है तथा जोकि अध्याधिक प्रतीत होता है। मन्दिर न्यास द्वारा इस मुददे को गम्भीरता से लिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि यदि भविष्य में मन्दिर न्यास की आय में कमी आती है और संस्थापना व्यय इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो भविष्य में मन्दिर न्यास से प्राप्त आय से संस्थापना का व्यय भी नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में मन्दिर के विकास कार्य तथा श्रद्धालुओं की अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित कार्य भी प्रभावित होने। अतः इस स्थिति को नियन्त्रण में लाने हेतु समुचित कदम उठाये जाये ताकि मन्दिर के विकासात्मक कार्य प्रभावित न हो।

(ख) दिनांक 1.1.96 से मन्दिर न्यास कर्मचारियों का सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन मान का कालपनिक निर्धारण (Notional Fixation) करने बारेः—

मन्दिर न्यास की दिनांक 24.5.97 को सम्पन्न हुई बैठक की मद संख्या 17 द्वारा निर्णय लिया गया कि मन्दिर न्यास कार्यालय दियोटसिद्ध में कार्यरत्त समस्त कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिया जाए जिसकी अनुपालना में मन्दिर न्यास द्वारा गठित कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप, मन्दिर न्यास कार्यालय दियोट सिद्ध में कार्यरत्त समस्त कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों के बराबर पूर्व में वर्ष 1986 से संशोधित वेतन मान का लाभ मन्दिर आयुक्त के पत्र संख्या 132–33 TA-II/HMR दिनांक 19.3.98 द्वारा दिनांक 1.3.98 से प्रदान किया गया। तदोपरान्त वर्ष 1996 से संशोधित वेतनमान का लाभ मन्दिर आयुक्त के पत्र संख्या TA-II/V/SR/HMR-514-517 दिनांक 11.8.2003 (प्रतिलिपि **"परिशिष्ट–G"** पर संलग्न) द्वारा दिनांक 1.1.2003 से लागू किया गया परन्तु कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जांच में यह पाया गया कि वर्ष 1996 के संशोधित वेतनमान को दिनांक 1.1.2003 से लागू करने की अपेक्षा दिनांक 1.1.1996 से लागू किया गया, जिस हेतु दिनांक 1.1.1996 से दिनांक 31.12.2002 तक काल्पनिक आधार पर समस्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण किया गया तथा दिनांक 1.1.2003 से वित्तीय लाभ प्रदान किये गये।

अतः मन्दिर आयुक्त के आदेशों के विपरीत वर्ष 1996 के संशोधित वेतनमान को दिनांक 1.1.2003 से लागू करने की अपेक्षा दिनांक 1.1.1996 से लागू करने का औचित्य

स्पष्ट किया जाये तथा इस प्रकरण में मन्दिर न्यास स्त्तर पर विस्तृत जॉच करके वस्तुस्थिति एवं अपेक्षित कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) मन्दिर न्यास कर्मचारियों को विभिन्न भत्ते जारी करने बारेः—

उपायुक्त एवं आयुक्त मन्दिर न्यास के आदेश संख्या 132—33/TA/II/HMR दिनांक 19.3.98 के अनुसार मन्दिर न्यास के कार्यालय में कार्यरत्त समस्त कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष वेतनमान दिनांक 1.3.98 से जारी किये गये। उक्त आदेशों के नोट नं0 3 के अनुसार मन्दिर न्यास कार्यालय में कार्यरत्त कर्मचारियों को मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य भतों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध था तथा माह अप्रैल 98 के वेतन बिलों के अवलोकन पर यह भी पाया गया कि उपरोक्त नोट नं0 3 के अनुसार ही वेतन बिलों का भुगतान किया जा रहा था। तदोपरान्त दिनांक 1.5.01 से न्यास कर्मचारियों के सेवा नियम 2001 बनाये गये जिनका अनुमोदन तत्कालीन उपायुक्त एवं आयुक्त मन्दिर न्यास द्वारा किया गया। न्यास कर्मचारी सेवा नियम 2001 के नियम 36 के अनुसार मन्दिर न्यास कार्यालय में कार्यरत्त कर्मचारियों को केवल ऐसे भत्ते ही दिये जाने प्रस्तावित थे जिस के बारे में मन्दिर न्यास द्वारा समय—2 निर्णय लिया जाता रहा है और जोकि समय—समय पर उपायुक्त एवं आयुक्त मन्दिर न्यास द्वारा अनुमोदित किए जाते रहें हों परन्तु अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि मन्दिर न्यास कर्मचारियों को सेवा नियम 2001 के नियम 36 के प्रावधानों के विपरीत बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के विभिन्न प्रकार के भत्तों का भुगतान दिनांक 1.1.2003 से लगातार किया जा रहा है। अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना विभिन्न भत्ते को जारी करने के कारण मन्दिर निधि को लाखों रूपये की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। अतः सेवा नियमों के विपरीत, अनियमित रूप में विभिन्न भत्तों के जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा मन्दिर न्यास के कर्मचारियो को जारी किये गये भत्तों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये।

(घ) मन्दिर न्यास कार्यालय दियोटसिद्ध में कार्यरत्त कर्मचारियों को ACPs का लाभ देने बारेः—

कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जांच में यह पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों को उपमण्डल अधिकारी (ना0) बड़सर एवं अध्यक्ष न्यास के पत्र संख्या 570/TA/SDB/2010 -दिनांक 4.6.10 के अनुसार ACPs (8—16—24—32) का लाभ प्रदान किया गया था जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः—

(i) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2007 की धारा 3 (ख) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। अतः इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

(ii) मन्दिर न्यास कार्यालय में कार्यरत्त कर्मचारियों को उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास के पत्र संख्या 132–33 TA-II/HMR दिनांक 19.3.98 द्वारा दिनांक 1.3.98 से सरकारी कर्मचारियो के समकक्ष वेतमान दिया गया जबकि ACPs का लाभ प्रदान करने हेतु अधिकत्तर कर्मचारियों के सेवाकाल की गणना दिनांक 1.1.93 से की गई। अतः 1.3.98 की अपेक्षा 1.1.93 से सेवाकाल की गणना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ङ) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चकमोह में प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चकमोह में श्रीमती सुकर्मा देवी (प्रवक्ता संस्कृत) तथा श्री जोगिन्द्र पाल (प्रवक्ता अंग्रेजी) की अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति उपायुक्त एवं आयुक्त मन्दिर के आदेश संख्या TA/ शिक्षण संस्थान/577 दिनांक 25.11.09 की अनुपालना में उपमण्डलाधिकारी (ना0) एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास के पत्र संख्या TA/-II/SBD/2009-1170 दिनांक 16.12.09 के अनुसार दिनांक 23.12.09 से की गई जबकि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास विधेयक (संशोधन) 2007 की धारा 4 (4) के अनुसार किसी प्रकार की नियुक्ति हेतु मुख्य आयुक्त मन्दिर से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक थी। अतः इस प्रकरण में नियमों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उपरोक्त अनियमितता को नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(च) लिपिक वर्ग द्वारा टंकण परीक्षा का उतीर्ण न करनाः–

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संस्कृत महाविद्यालय मॉडल स्कूल व स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यरत्त लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को मन्दिर अधिग्रहण की दिनांक अर्थात 16.1.87 से तथा मन्दिर न्यास कार्यालय दियोटसिद्ध में कार्यरत्त लिपिक वर्ग को दिनांक 1.3.98 से सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष वेतनमान दिये गये। सरकारी कर्मचारियों द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि व भविष्य में पदोन्नति प्राप्त करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या RER (AT) (1)(F)(4)-3/84-Part-I दिनांक 3.1.92 के अनुसार नियुक्ति के एक वर्ष के अन्दर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य थी परन्तु मन्दिर न्यास के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जांच में यह पाया गया कि सम्बन्धित वर्ग द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है। चूंकि मन्दिर न्यास द्वारा सरकारी

कर्मचारियों के बराबर अपने कर्मचारियों को वेतनमान दिये गये है। अतः न्यास के कर्मचारियों द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा टंकण/कम्पयूटर परीक्षा को आयोजित करके इस प्रकरण में तदानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाये ताकि लिपिक वर्ग की कार्यकुशलता में बढ़ौतरी की जा सके।

(छ) आर्युवैदिक चिकित्सकों को एन0पी0ए0 जारी करने बारेः–

अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संचालित आर्युवैदिक चिकित्सालय दियोटसिद्ध में कार्यरत्त चिकित्सकों को उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास के पत्र संख्या हमीर/टी0ए0/ज0फ0/2009–572 दिनांक 22.11.10 की अनुपालना में दिनांक 1.1.11 से एन0पी0ए0 जारी किया गया जबकि इस हेतु हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2007 की धारा 3 (ख) के अनुसार मुख्य आयुक्त मन्दिर से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। अतः इस प्रकरण में नियमानुसार, सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके, जारी किये गये एन0पी0ए0 को नियमित करवाया जाये।

(ज) मन्दिर न्यास कर्मचारियों की अन्य कार्यालयों में नियुक्ति बारेः–

अभिलेख की जांच उपरान्त यह पाया गया कि मन्दिर न्यास के कुछ एक कर्मचारी, अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास के कार्यालय अथवा मन्दिर न्यास द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं में कार्यरत्त नहीं थे परन्तु उनके वेतन व भत्तों का भुगतान मन्दिर न्यास निधि से किया गया। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मन्दिर न्यास कार्यालय अथवा मन्दिर न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं की अपेक्षा अन्य कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–H"** पर दिया गया है जिसके अनुसार इन कर्मचारियों के वेतन इत्यादि पर वर्ष 2011 में ₹2539744 का भुगतान न्यास की निधि में किया गया। अतः मन्दिर न्यास कार्यालय अथवा मन्दिर न्यास की अन्य संस्थाओं में कार्य किये बिना, उपरोक्त परिशिष्ट में वर्णित कर्मचारियों को वेतन व भत्तों के रूप में भुगतान की गई कुल राशि ₹2539744/–को मन्दिर निधि पर उचित प्रभार नहीं ठहराया जा सकता। अतः उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(ञ) पदोन्नत पद पर पूर्व से पदोन्नति का वित्तीय लाभ प्रदान करने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि शेर सिंह, कनिष्ठ सहायक को मन्दिर न्यास बाबा दियोटसिद्ध के पत्र संख्या 2195—98/टी0सी0/एस0डी0पी0 दिनांक 4.09.03 द्वारा वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति करके पदोन्नति का लाभ दिनांक 22.09.2001 से प्रदान किया गया। इस प्रकरण की जांच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा उपरोक्त कर्मचारी की दिनांक 4.09.2003 से वरिष्ठ सहायक के पद पदोन्नति से पूर्व ही से पहले कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत्त रहते हुये नोशनल आधार पर दिनांक 3.09.01 से 3.09.13 तक वित्तीय लाभ प्रदान किया जा चुका है। अतः पूर्व में ही वित्तीय लाभ देने के बावजूद भी पदोन्नति पर पुनः लाभ देने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गई बकाया राशि की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ट) प्रवीणता वेतन वृद्धि गलत तरीके से प्रदान करने के फलस्वरूप ₹35136/— का अनियमित भुगतानः—

अंकेक्षण के दौरान श्री शमशेर सिंह अधीक्षक की सेवा पंजिका की जांच करने पर पाया गया कि उपरोक्त अधिकारी को वरिष्ठ सहायक के पद पर उनके जूनियर के बराबर वेंतन निर्धारण करने हेतु 1.4.03 से 5800—9200 के वेतन मान पर 6000 से 7000 पर स्टेप अप किया गया। उपरोक्त अधिकारी को स्टेप—अप प्रदान करने के पश्चात दिनांक 26.4.05 से प्रवीणता वेतन वृद्धि (A.C.P.) का लाभ भी प्रदान किया गया जो नियमों के अन्तर्गत देय नहीं था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा दिनांक 26.4.05 से 9.6.10 तक उक्त प्रवीणता वेतन वृद्धि के फलस्वरूप भुगतान की गई ₹35136/— की गणना की जांच संस्था स्त्तर पर भी करके इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाना सुनिश्चित की जाए।

(ठ) श्री बाबा बालक नाथ स्नातक महाविद्यालय में कार्यरत्त शिक्षक वर्ग की नियुक्तियो से सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन पत्र न दर्शाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान श्री बाबा बालक नाथ महाविद्यालय चकमोह में कार्यरत्त शिक्षक वर्ग की नियुक्तियों के पत्रों की जांच करने पर पाया गया कि शिक्षकों की नियुक्तियों को प्रबन्धन कमेटी (Management Committee) के आदेशों के पश्चात इनका अनुमोदन उपयुक्त हमीरपुर व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से करवाया जाना आवश्यक था परन्तु

अंकेक्षण में निम्नलिखित शिक्षकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में उपायुक्त महोदय व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अनुमोदन पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके बिना शिक्षक वर्ग की नियुक्तियों से सम्बन्धित वांन्छित अभिलेख की जांच नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दर्शाए जाने सुनिश्चित की जाए ताकि इनकी जांच हेतु तदानुसार करके इस प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

क्र0सं0	**नाम व पदनाम**
1	श्री करन सिंह राणा (प्रवक्ता संस्कृत)
2	श्री महिन्द्र लाल (प्र0 भौतिक शास्त्र)
3	श्री अजीत सिंह (प्र0 गणित)
4	श्री केहर सिंह देहल (प्र0 राजनीतिक शास्त्र)
5	श्री विजय शर्मा (प्र0 अर्थशास्त्र)
6	श्री संजीव कुमार (प्र0 अंग्रेजी)
7	श्री उत्तम सिंह (प्र0 गणित)
8	श्री अशोक शर्मा (प्र0 भौतिक शास्त्र)
9	श्री संजीव शर्मा (प्र0 रसायन शास्त्र)
10	श्री नरेश कुमार (प्र0 रसायन शास्त्र)
11	श्री नारायण (प्र0 जीव विज्ञान)
12	श्री रोशन लाल (प्र0 समाज शास्त्र)
13	श्रीमती संगीत गिल (प्र0 इतिहास)
14	श्री रविकान्त पण्डित (प्र0 ज्यूलोजी)
15	श्रीमती सुमन लता (प्र0 संस्कृत)
16	श्रीमती सुमन वाला (प्र0 वाणिज्य)
17	श्री सुरेश कुमार (प्रधानाचार्य)
18	श्रीमती सुलेखा (प्र0 राजनीनिक शास्त्र)

10 बजटः–

(क) बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने बारेः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2011 में संस्थापना व्यय हेतु कुल ₹74000000/–का बजट प्रावधान था परन्तु उक्त मद पर **"परिशिष्ट–F"** के अनुसार

₹93203868/– का वास्तविक व्यय किया गया अर्थात ₹19203868/– का व्यय बजट प्रावधान से अधिक किया गया जिस हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। अतः बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अधिक व्यय की गई राशि को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति से नियमित करवाया जाये।

(ख) बिना बजट प्रावधान के ₹72.85 लाख व्यय करने बारेः–

अंकेक्षण को **"परिशिष्ट–F"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2011 मे किए गए व्यय में से कुछ मदों के लिये बजट प्रावधान नहीं था परन्तु उन मदों पर भी निम्न विवरणानुसार व्यय किये गये।

क्र0सं0	**मद**	**बजट प्रावधान**	**वास्तविक व्यय**
1	High Mast light	NIL	1129800
2	Instalation of handpump	NIL	999860
3	Chakmoh Vill road	NIL	550000
4	Purchase of cement	NIL	567793
5	Advance to chairman	NIL	800000
6	Advance to Polic choki	NIL	100000
7	C.M. Relief Fund	NIL	3100000
8	Water supply charges	NIL	11964
9	Recovery van Rent	NIL	26000
		योग	**₹7285417**

अतः बिना बजट प्रावघान के ₹7285417/–के व्यय को मन्दिर निधि पर उचित प्रभार नहीं ठहराया जा सकता। अतः बिना बजट प्रावधान के व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अनियमित रूप में व्यय की गई राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना युनिश्चित किया जाये।

11 व्यय (दान खाता):–

(क) मोबाईल बिलों पर ₹14158/– के भुगतान बारेः–

उपायुक्त हमीरपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास की अध्यक्षता में दिनांक 4.8.08 को सम्पन्न हुई बैठक के निर्णय की अनुपालना में मन्दिर अधिकारी के पत्र संख्या

72/TBBNM/ बिजली स्टोर/09 दिनांक 13.3.09 के अनुसार मै0 राज भारती इन्टरप्राईसिस हमीरपुर से टाटा इन्डीकॉम कम्पनी के सात नं0 मोबाईल फोन क्रमशः 9218402356, 9418402358, 9218403073, 9218403085, 9218403103 9218403086 तथा 9218403104 का क्रय Post Paid एवं Zero Rental आधार पर किया गया, जिनका प्रयोग चैत्र मास के मेलों के दौरान संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने रखने के लिये किया जाना अपेक्षित था, परन्तु चयनित माह के भुगतान वाऊचरों एवं दूरभाष रजिस्टर की जांच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त फोन नम्बरो का प्रयोग मेला अवधि 14.3.11 से 14.4.11 से पूर्व व बाद में भी किया गया था, जिस कारण निम्नविवरणानुसार ₹14158/—का भुगतान दूरभाष बिलों के रूप में किया गया।

क्र0सं0	**बिल नं0**	**दिनांक**	**राशि**
1	977378788	4.3.11	1069
2	1022345765	7.5.11	2677
3	1046812481	7.6.11	1566
4	1070564502	7.7.11	1772
5	107613712	7.8.11	1566
6	1122733514	5.9.11	3341
7	1134974405	7.11.11	1041
8	1148706393	16.12.11	1486
		योग	**₹14518**

अतः मेला अवधि से पूर्व व बाद में मोबाईल/दूरभाष सैटों का प्रयोग करने पर भुगतान की गई राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ख) नेगोशियसन के बिना सब्जी की खरीद बारेः—

अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि लंगर प्रयोग हेतु वर्ष 2011 के दौरान मै0आर0के0 ब्रदर्ज चकमोह से लगभग ₹75000/—की सब्जी की खरीद की गई, जिस हेतु न तो कमेटी का गठन किया गया तथा न ही सब्जी विक्रेता से नेगोशियसन की गई। अतः बिना कमेटी के गठन के/बिना नेगोशिएसन के पूरे वर्ग के दौरान एक ही आपूर्तिकर्ता/दुकानदार से सब्जी क्रय करना अनियमित प्रतीत होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्स में कमेटी का गठन करके विभिन्न दुकानदारो से नेगोशिएसन करने के उपरान्त ही सब्जी का क्रय किया जाये।

(ग) आयकर विभाग को दण्डस्वरूप किये गये ₹27250/– के भुगतान के बारे मेंः–

वाऊचर संख्या NIL दिनांक 8.11.11 की जांच में यह पाया गया कि आयकर विभाग पालमपुर द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 200 (A) के अन्तर्गत मन्दिर न्यास कर्मचारियों की वितीय वर्ष 2009–10 की TDS विवरणी पर "Late payment of salary statement" हेतु दण्ड स्वरूप ₹27250/–वसूल की गई है जिसका भुगतान मन्दिर निधि से किया गया है जोकि मन्दिर न्यास निधि पर उचित प्रभार नही है। अतः संस्था स्त्तर पर इस तथ्य का पता लगाया जाये कि इस प्रकरण किस स्त्तर पर चूक हुई तथा तदानुसार ही चूककर्ताओं से ₹27250/–की वसूली करके मन्दिर निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

(घ) ₹26800/–के टायरों की खरीद बारेः–

वाऊचर संख्या 4049 दिनांक 29.10.11 की जांच में यह पाया गया कि गाड़ी नं0 एच0पी0–21–2100 के लिये चार नये टायरों की खरीद हेतु, हिमाचल प्रदेश एग्रो इन्डस्टरीज शाखा हमीरपुर को उनको बिल नं0 99 दिनांक 10.10.11 के एवज में ₹26800/–का भुगतान किया गया। नियमानुसार लगभग ₹25000/–कि0मी0 की दूरी तय करने उपरान्त ही गाड़ी के टायर बदले जाने अपेक्षित थे परन्तु गाड़ी नं0 एच0पी0–21–2100 की लॉग बुक के अवलोकन पर यह पाया गया कि पूर्व में दिनांक 23.8.2010 को चार नये टायर बदलने उपरान्त गाड़ी द्वारा केवल 16250 कि0मी0 की दूरी तय करने के उपरान्त दिनांक 10.10.11 को पुनः चार नये टायर बदले गये जिसकी पुष्टि टिप्पणी संख्या 43 द्वारा भी की गई। अतः तय मानकों के विपरीत निर्धारित कि0मी0 की दूरी तय करने से पहले बदलने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ङ) यात्रा भत्ता रजिस्टर न लगाने बारेः–

चयनित माह के भुगतान वाऊचरों की जांच में यह पाया गया मन्दिर न्यास के विभिन्न कर्मचारियों को यात्रा भत्ता बिलों के रूप में भुगतान की गई राशि का लेखा जोखा रखने के लिए यात्रा भत्ता रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है। भुगतान की गई राशियों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वाउचर सं0	जिसे भुगतान किया गया	अवधि	राशि	टिप्पणी
1	4019	श्री रमेश चन्द (न्यासी)	माह 9/11	4840	दान खाता
2	4108	श्री जगदीश चन्द (न्यासी)	माह 10/11	2030	–यथोपरि–
3	4109	श्री रमेश चन्द (न्यासी)	माह 10/11	4400	–यथोपरि–
4	शून्य	श्री हरि चन्द (न्यासी)	8/11 से 10/11	6090	–यथोपरि–
5	4185	श्री गुरचैन सिंह (क0स0)	7.9.11 से 16.11.11	856	–यथोपरि–
6	4186	श्री विक्रम सिंह (व0स0)	7.11.11 से 23.11.11	1157	–यथोपरि–
7	4187	श्री रमेश चन्द (सेवादार)	24.10.11 से 21.11.11	818	–यथोपरि–
8	4188	श्री विक्रम सिंह (व0स0)	17.9.11 से 25.10.11	2508	–यथोपरि–

अतः सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्त्तर पर इस तरह के भुगतानों की जांच करने हेतु यात्रा भत्ता के रूप में भुगतान की गई राशियों का इन्द्राज यात्रा भत्ता रजिस्टर में किया जाये।

12 व्यय (मन्दिर अधिकारी खाता)

(क) प्रतिभूति एवं अन्यकरों की राशि को सम्बन्धित खातों/विभागों में जमा न करनाः–

कार्य का नामः– गेट नं0 3 से बाबा जी गुफा तक रास्ते की चौड़ाई को बढ़ाना

ठेकेदारः– श्री राजेश कौशल

एम0बी0 नं0:– 119 पृ0 100

अवार्ड पत्र सं0 TBBN/EE/02 for 22011

कुल बिल ₹100194

वाऊचर संख्या 3098 दिनांक 29.11.11

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि श्री राजेश कौशल ठेकेदार को उक्त कार्य के बिल की कुल ₹100194/–में से विभिन्न कटौतियां करने उपरान्त ₹86895/–का भुगतान किया गया। ठेकेदार के कुल बिल में से निम्न विवरणानुसार कटौतियां की गई:–

प्रतिभूति राशि	8019 (बकाया ₹2000/–(E.M.) को समायोजित करने उपरान्त)
आयकर	2274
बिक्री कर	2004
Construction Cess	1002
योग	**₹13299**

उपरोक्त विवरणानुसार कटौती की गई राशि को प्रतिभूति खाते में तथा सम्बन्धित विभागों अर्थात आयकर तथा बिक्री कर विभागों में अंकेक्षधाधीन अवधि के दौरान जमा नहीं करवाया गया। अतः इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल का ₹167960/–का अनियमित भुगतानः–

वाउचर संख्या शून्य दिनांक 22.11.11 की जांच में यह पाया गया कि श्री अशोक दत्त पुजारी को उनके पिताजी के "टैगोर हास्पिटल एण्ड हर्ट केयर सैन्टर प्राईवेट लिमिटेड, जालन्धर" में दिनांक 15.09.11 से 19.09.11 तक "Indoor Patient" के रूप में इलाज करवाने पर ₹167960/–का भुगतान किया गया जिससे निम्नलिखित अनियमितताये पाई गई:–

(i) कर्मचारी सेवा नियम 2001 खण्ड–VIII नियम 47 के अनुसार कर्मचारियों को सरकारी/न्यास द्वारा संचालित हस्पताल में "Indoor Patent" के रूप में इलाज करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध थी जबकि उपरोक्त प्रकरण में इलाज सरकारी/न्यास द्वारा संचालित हस्पताल से न करवाकर प्राईवेट हस्पताल से करवाया गया था। अतः कर्मचारियों सेवा नियम 2001 खण्ड– VIII नियम 47 के विपरीत चिकित्सा बिल का भुगतान

करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर इस भुगतान को नियमित करवाया जाये।

(ii) उक्त कर्मचारी को भुगतान की गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि के साक्ष्य में उनसे "dependent certificate" प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13 वास्तविक मोबाईल बिलों के बिना, भुगतान की गई ₹29000/– के बारे में:–

उपायुक्त एवं आयुक्त मन्दिर न्यास के पत्र T.A./SDB/2004 दिनांक 25.8.04 के अनुसार मन्दिर न्यास द्वारा अध्यक्ष मन्दिर न्यास तथा मन्दिर अधिकारी को मोबाईल फोन की सुविधा प्रदान की गई, जिस हेतु मोबाईल का बिल प्रतिमाह अध्यक्ष न्यास के लिये ₹1500/–व मन्दिर अधिकारी के लिये ₹1000/–निर्धारित किया गया था अर्थात अध्यक्ष न्यास के लिये, मोबाईल का वास्तविक बिल या ₹1500/– जो भी अधिक हो व मन्दिर अधिकारी के लिये मोबाईल का वास्तविक बिल या ₹1000/–जो भी अधिक हो की प्रतिपूर्ति मन्दिर न्यास की ओर से प्रतिमाह की जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण को **"परिशिष्ट–1"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं अभिलेख के अवलोकन पर यह पाया गया कि उपरोक्त अधिकारियों के अतिरिक्त पुलिस चौकी दियोटसिद्ध के पक्ष में भी मोबाईल फोन के वास्तविक बिल प्राप्त किये बिना ही प्रतिमाह क्रमशः ₹1500/–व ₹1000/–का भुगतान किया गया है। अतः इस प्रकार से वास्तविक बिल प्राप्त करके संस्था स्तर इस तथ्य की छानबीन की जाये कि कहीं वास्तविक बिलों की राशि भुगतान की गई राशि से कम तो नही थी तथा यदि वास्तविक बिलों की राशि भुगतान की गई राशि कम पाई जाये तो तदानुसार सम्बन्धित अधिकारियों से वसूली की जाये। इसके अतिरिक्त पुलिस चौकी दियोटसिद्ध को मोबाईल बिलों के भुगतान करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए।

14 विज्ञापनों पर अनियमित रूप में व्यय की गई ₹4.43 लाख के बारे में:–

अंकेक्षण को **"परिशिष्ट –J"** पर उपलब्ध करवाई सूचना एवं अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि मन्दिर न्यास वर्ष 2011 में कुल ₹462309/–विज्ञापनों पर व्यय की गई थी, जिसमें से ₹442812/– विभिन्न संस्थाओं द्वारा मुद्रित पत्रिकाओं/समाचार पत्रों तथा अन्य उत्सवों में "General" विज्ञापनों पर श्व्यय की गई। इस तरह के विज्ञापनों पर व्यय करने हेतु प्रधान सचिव (भाषा एवं संस्कृति) हिमचाल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या LCD-E(3)-18/2010 दिनांक 10.12.10 के अनुसार पूर्णतयाः प्रतिबन्ध लगाया गया था। इसके

अतिरिक्त उपरोक्त व्यय हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 17 के भी विपरीत है, क्योंकि उक्त धारा के अनुसार श्रद्धालुओं द्वारा दान की राशि को श्रद्धालुओं के हित में व्यय करना अपेक्षित है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 17 द्वारा इस तरह के निरर्भक व्ययों पर अकुंश लगाने का सुझाव दिया गया था। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों पर नियमानुसार ही व्यय किया जाये ताकि निरर्थक व्यय को शेष इस राशि को मन्दिर के विकासात्मक कार्यो पर खर्च किया जा सके।

15 यूको बैंक को बिना किराये के उपलब्ध करवाई गई आवास सुविधा बारेः—

अंकेक्षण को **"परिशिष्ट—K"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 3.11.87 के दियोटसिद्ध क्षेत्र में स्थापित यूको बैंक की शाखा के लिये मन्दिर परिसर द्वारा आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है तथा वर्तमान में यूको बैंक को सराये नं0 8 में एक बड़ा हाल, मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाया गया है तथा मन्दिर न्यास के अभिलेखानुसार यूको बैंक में इस सुविधा के एवज में किराये की वसूली नहीं की जा रही है। चूंकि यूको बैंक एक व्यवसायिक संस्था है इसलिये उक्त संस्था को बिना किराये के आवास सुविधा उपलब्ध करवाना स्वतः ही आपत्तिजनक है। अतः बैंक से किराया न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार किराये की गणना करके, देय किराये की राशि की वसूली उक्त बैंक से की जानी सुनिश्चित की जायें।

16 पुलिस चौकी दियोटसिद्ध क्षेत्र को निशुल्क आवास व अन्य सुविधाएं देने बारेः—

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "L तथा M"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्ष 1987 से दियोटसिद्ध क्षेत्र में स्थापित पुलिस चौकी के लिये मन्दिर न्यास द्वारा निशुल्क आवास सुविधा प्रदान की गई है अर्थात मन्दिर न्यास द्वारा पानी व बिजली के बिलों तथा आवास के किराये की मांग भी पुलिस विभाग से नहीं की जाती है। वर्तमान मे ंपुलिस विभाग को, मन्दिर न्यास की सरायें नं0 1 जो कि चार मंजिला भवन है तथा सराये नं0 5 जो कि दो मंजिला भवन है, का परिसर उपलब्ध करवाया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त जांच में यह पाया गया कि अंकेक्षण अवधि वर्ष 2011 के दौरान पुलिस चौकी में स्थापित दूरभाष नं0 266188 के बिलों हेतु ₹12000/—का भुगतान व सराये नं0 1 व 5 मे ंस्थापित बिजली मीटरो ंके बिलों हेतु कुल ₹18370/—का भुगतान भी मन्दिर न्यास द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011 में पुलिस चौकी को फर्नीचर खरीदने हेतु ₹100000/—अग्रिम रूप

में दी गई तथा उपरोक्त सरायों का वार्षिक आधार पर रंग–रोगन व मुरम्मत आदि का कार्य भी मन्दिर न्यास द्वारा किया जाता है, परन्तु पुलिस विभाग से किराए पानी व बिजली के बिल दूरभाष बिल व अन्य अग्रिम राशियों की वसूली नहीं की गई जो कि अनियमित प्रतीत होता है। यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि परिशिष्ट M के अनुसार वर्ष 2011 के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर परिसर/श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिये **₹**1882911/–का व्यय किया गया जिससे स्पष्ट है कि उक्त चौकी की स्थापना सम्पूर्ण रूप में दियोटसिद्ध क्षेत्र के लिये की गई थी। अतः पुलिस चौकी को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं निशुल्क प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा संस्था स्त्तर पर आवश्यक जांच करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए अन्यथा गत वर्षों के लिये किये गये भुगतानों की जांच करके निर्धारित माप दण्डों के अनुसार देय किराये व अन्य भुगतान की गई राशियों की वसूली पुलिस विभाग से की जानी सुनिश्चित की जाये।

17 मन्दिर न्यास द्वारा निर्मित दुकानों को किराये पर न देने बारेः–

"परिशिष्ट–N" के अवलोकन पर यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा 12 दुकाने निर्मित की गई है जिनमें से कुल 6 दुकानें ही किराये पर चढ़ाई गई है अर्थात 6 दुकानें ही किराये पर चढ़ाई गई है अर्थात 6 दुकानें खाली पड़ी है। यह दुकानें गत कई वर्षों से खाली पड़ी हुई है तथा मन्दिर प्रशासन द्वारा इन खाली पड़ी दुकानों को किराये पर देने बारे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है जो कि मन्दिर प्रशासन की आय के साधानों को बढ़ाने के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि संस्था स्त्तर जांच करके खाली पडी दुकानों को किराये पर चढ़ाने हेतु अविलम्ब उचित कार्रवाई अमल में लाई जाये ताकि मन्दिर न्यास की आय में वृद्धि के साथ–2 श्रद्धालुओं की सुविधाओं में बढ़ौतरी की जा सके।

18 हैडपम्प लगवाने हेतु ₹9.99 लाख के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

अभिलेख की जांच पर यह पाया गया कि वर्ष 2011 के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिचाई एवंज न स्वास्थ्य विभाग, बड़सर को **₹**999860/–का भुगतान हेतु पम्प लगाने हेतु अग्रिम के रूप में किया गया। भुगतान की गई अग्रिम राशि के सम्बन्धित वांन्छित अभिलेख जैसे कि कार्य का प्रकालन, स्थान की सूची जहां पर हैडपम्प

लगाये जाने थे, इत्यादि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये ये जिसके अभाव में हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 17 के उपबन्धों के दृष्टिगत, भुगतान की गई राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाये ताकि अधिनियम के उपबन्धों के दृष्टिगत भुगतान की गई राशि की पुष्टि की जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त राशि के समायोजन हेतु भी भरसक प्रयत्न किये जाये।

19 चकमोह गांव में मन्दिर न्यास द्वारा स्ट्रीट लाईट की सुविधा प्रदान करने बारेः—

अंकेक्षण को **"परिशिष्ट–O"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मन्दिर न्यास द्वारा चकमोह गांव में स्ट्रीट लाईट के 73 Point स्थापित किये गये है जिस हेतु वर्ष 2011 में ₹48646/—के बिजली बिल का भुगतान किया गया। उपरोक्त स्ट्रीट Point स्थापित करने व उन पर प्रतिवर्ष भुगतान किये गये बिजली बिल व मुरम्मत आदि के बिलों को मन्दिर न्यास निधि पर हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 17 के उपबन्धों के दृष्टिगत उचित प्रभार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उक्त गांव मन्दिर परिसर से लगभग 3 कि0मी0 को दूरी पर मुख्य सड़क मार्ग से लगभग 1 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। अतः उक्त भुगतान की गई राशि का उक्त अधिनियम के उपबन्धों के दृष्टिगत औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति में नियमित करवाया जाए।

20 अग्रिम रजिस्टर न लगाने बारेः—

अंकेक्षण को **"परिशिष्ट–P"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2011 में मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न संस्थाओ/विभागों को कुल ₹4147453/—अग्रिम के रूप में दी गई परन्तु अग्रिम राशियों के रख—रखाव हेतु किसी भी प्रकार के अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया, जिसके अभाव में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकती कि अग्रिम राशियों का समायोजन कर लिया गया है अथवा नहीं तथा अग्रिम राशियों का उपयोग उन्ही उद्देश्यों के लिये किया गया था कि जिन उद्देश्यों के लिये राशि अग्रिम के रूप में दी गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर न्यास अग्रिम रजिस्टर लगाया जाये जिसमें समस्त अग्रिम राशियों का इन्द्राज किया जाये तथा जिन संस्थाओं/विभागों को राशि अग्रिम रूप में दी गई है, उनसे समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त करके, राशियों का

समायोजन किया जाये तथा सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों से अग्रिम की शेष राशि भी वापिस ली जानी सुनिश्चित की जाये।

21 **वाहनः–**

(क) गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण न करवाने के कारण ₹8648/– की वित्तीय हानि बारेः–

(i) गाड़ियों की लॉग बुक की जांच उपरान्त यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं करवाया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा यदि गाड़ियों की औसत तेल खपत, निर्धारण औसत तेल खपत से कम पाई जाये तो तदानुसार अधिक प्रयोग किये गये तेल की कीमत की वसूली वर्तमान दरों के अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त गाड़ियों को माहवार औसत तेल खपत में भी भारी अन्तर पाया गया जिसका पूर्व विवरण **"परिशिष्ट–Q"** पर दिया गया है जिसके अवलोकन पर यह पाया गया कि गाड़ी नं0 एच0पी0–21 2100 की माह 01/2011 से 12/2011 तक औसत तेल खपत लगभग 10 कि0मी0/लीटर बनती है। इसी तरह गाड़ी नं0 एच0पी0 21–2001 की माह 01/2011 से 12/2011 तक औसत तेल खपत लगभग 10 कि0मी0/लीटर बनती है और गाड़ी नं0 एच0पी0 21–3095 (टैम्पों) की औसत तेल खपत लगभग 6 कि0मी0/लीटर बनती है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 168 दिनांक 24.11.12 द्वारा मन्दिर अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त **"परिशिष्ट–Q"** में दर्शाई गई गाड़ियों (गाड़ी नं0 एच0पी0–21–2100 व गाड़ी नं0–एच0पी0 21ए–2001) की औसत तेल खपत (10 कि0मी0) तथा गाड़ी नं0 21–3095 की औसत तेल की खपत 6 कि0मी0 के आधार पर भी 185–96 पैट्रोल/डीजल की खपत अधिक की गई है। अतः अधिक प्रयोग किये गये तेल (डीजल) की मात्रा 185.96 लीटर बनती है, जिसकी कुल कीमत प्रचलित वर्तमान दरों के अनुसार ₹8648/–बनती है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ग) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिये बिना वाहन को दियोटसिद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाने बारेः–

वाहन संख्या एच0पी0–21–2100 की लॉग बुक की जॉच उपरान्त यह पाया गया कि उक्त वाहन को सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना दियोटसिद्ध से शिमला तथा दियोटसिद्ध से हमीरपुर इत्यादि स्थानों पर जाया गया था जिसका विवरण **"परिशिष्ट–R"** पर दिया गया है। अतः **"परिशिष्ट–R"** में वर्णित की गई यात्रा को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये अन्यथा इस परिशिष्ट में वर्णित यात्राओं को निजी यात्रा मानते हुये अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

22 स्टॉक

(क) स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेख की जॉच पर पाया गया कि न्यास के स्टॉक मे पड़े सामान की प्रत्यख सत्यापना नहीं की गई है जबकि नियमानुसार स्टॉक मे ंपड़े सामान की प्रत्येंक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना की जानी अपेक्षित है। अतः नियमों के विपरीत प्रत्यक्ष सत्यापना न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा स्टॉक मे ंपड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाकर अनुपालना से इस विभगा को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

(ख) स्थाई वस्तुओं का अन्तशेष शून्य दर्शाने बारेः–

स्टॉक रजिस्टरों की जांच उपरान्त यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा कुछ एक स्थाई वस्तुओं के अन्तशेष को शून्य दर्शाया गया था जबकि नियमानुसार स्थाई वस्तुओं का अन्तशेष तभी कम किया जाना चाहिये जब वास्तव में स्थाई वस्तु अनुपयोगी घोषित करने उपरान्त नीलाम/नष्ट कर दी जाये। उदाहरण के तौर पर यूनिट स्पीकर (Unit Speakers) स्टॉक रजिस्टर नं0 1, पार्ट–5 के पृष्ठ संख्या 369 पर जारी करके इस शेष शून्य दर्शाया गया था। अतः विभागीय तौर पर स्टॉक की समस्त मदों की मात्राओं को सही करने के अतिरिक्त भविष्य मे ंस्टॉक रजिस्टरो ंको रख–रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ग) 50 कि0ग्रा0 आलू की मात्रा को स्टॉक रजिस्टर में गलत दर्शानाः–

जॉच के दौरान पाया गया कि दिनांक 17.4.11 150 कि0ग्रा0 आलू, खरीद करके इसे स्टॉक रजिस्टर से जारी किया गया दर्शाया गया है जिसकी प्रविष्टि पृष्ठ संख्या 312 पर दर्ज है, लेकिन दैनिक राशन रजिस्टर पर मात्रा 150 कि0ग्रा0 आलू के स्थान पर केवल 100कि0ग्रा0 आलू की प्राप्ति पृष्ठ संख्या 108 पर की गई थी। इस प्रकार 50 कि0ग्रा0 आलू (150–100) दैनिक राशन रजिस्टर से कम प्राप्त किया गया दर्शाया गया है जिसका बाजार मूल्य ₹670(50कि0ग्रा0 / 13.40) बनता है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर 50 कि0ग्रा0 आलू की अपेक्षित ₹670 /–को चूककर्ता से वसूल करके रसीद संख्या 17052 दिनांक 19.11.12 द्वारा दान निधि खाते में जमा करवा दिया गया है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य मे इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

(घ) सामग्री को स्टोर रजिस्टर से दो बार जारी करने बारेः–

जॉच के दौरान पाया गया कि दैनिक राशन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 252 पर दिनांक 23.4.11 को 0.500 ग्राम चाय (पत्ती) लंगर के लिये प्राप्त की गई, जोकि खरीद स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 114 पर दिनांक 23.4.11 को क्रम की गई थी तथा तदानुसार 0.500 ग्राम चाय पत्ती स्टॉक में से जारी करके कम की गई। इसके अतिरिक्त दान स्टॉक रजिस्टर के चाय पत्ती के स्टॉक से भी मात्रा 0.500 ग्राम चाय पत्ती दिनांक 23.4.11 को जारी / क्रय की गई दर्शाई थी। इस प्रकार 0.500 ग्राम चाय पत्ती दो बार स्टॉक में से जारी / कम की गई। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर दान स्टॉक रजिस्टर से जारी की गई 0.500 ग्राम चाय पत्ती की वसूली ₹114 (बाजार मूल्य) चूककर्ता से करके रसीद संख्या 17053 दिनांक 19.11. 12 द्वारा यह राशि उक्त निधि / सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी गई है तथा जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण के दौरान कर दी गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

(ङ) पुराने सामान को नीलामी द्वारा बिक्रय बारेः–

माह 05 / 11 को मन्दिर न्यास में स्टॉक मे ंपड़े पुराने सामान (जैसे पुराने बर्तन, पुराने पंखे, पुराना बिजली का सामान, पुराने खेस चदरें व गदते इत्यादि) नीलामी करके बिक्री की गई जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

(i) नीलामी रजिस्टर ंमें स्टॉक मे ंपड़े सामान का नीलामी द्वारा बिक्रय किया गया लेकिन विभिन्न मदें जोकि नीलामी रजिस्टर के स्टॉक मे ंपड़ी थी उनमें से कितनी मदों की मात्रा नीलाम की गई है, का उल्लेख सम्बन्धित नीलामी स्टॉक रजिस्टर तथा वाउचरों इत्यादि पर

नहीं किया गया। अतः विभिन्न नीलामी रजिस्टरों तथा सम्बन्धित अभिलेखों पर मदों की मात्रा न लिखने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य हेतु यह सुझाव दिया जाता है कि नीलामी द्वारा विक्रय निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद ही, किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ii) जॉच के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त नीलामी किये गये सामान के विक्रय के लिये कोई न्यूनतम कीमत नहीं लगाई गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य के लिये यह सुझाव दिया जाता है कि नीलामी द्वारा विक्रय समस्त सामान का न्यूनतम मूल्य निर्धारण करने के पश्चात ही नीलामी करनी सुनिश्चित की जाये।

(iii) माह 05/11 में नीलामी द्वारा विक्रय के लिये सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाये गये सामान में से कुछ मदों (जैसे पुराने खेस, गददे व चादरे इत्यादि) को नीलाम नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त समस्त शेष सामान का भी नीलामी द्वारा विक्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(च) स्टोर एवं स्टॉक रजिस्टरों से जारी किये गये सामान से सम्बन्धित अधियाचना या मांग बारेः—

जांच के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास के स्टोर एवं स्टॉक रजिस्टर से जारी की गई सामग्री से सम्बन्धित मॉग या अधियाचना व अन्य अभिलेख अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में जारी की गई सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाये तथा स्टोर व स्टॉक रजिस्टर से जारी किये गये सामान/सामग्री की पुष्टि करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

23 भुगतान वाउचरों की वाउचिंग न करनाः—

मन्दिर न्यास खातों से भुगतान किये गई राशियों से सम्बन्धित अभिलेख/Sporting bills etc की वाउचिंग नहीं की गई थी जिसके अभाव में रोकड़ वहियों के भुगतान पक्ष में दर्ज की गई राशियों से सम्बन्धित वाउचरों की ट्रेसिंग में असुविधा का सामना करना पड़ा। अतः परामर्श दिया जाता है कि भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख को रोकड़ वही में दर्ज किया जाए तथा प्रत्येक भुगतान के क्रय के अनुसार क्रम संख्या अंकित करके नियमानुसार वाउचिंग की जाये।

24 **लधु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

25 **निष्कर्षः—** लेखाओं के रख रखाव में और सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(xiv)195/97 खण्ड—5—3920—3925 दिनांक, 07.06.2013, शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है :—

पंजीकृतः—1. मन्दिर अधिकारी मन्दिर श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ जी, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करने सुनिश्चित करे।

2. प्रधान सचिव (भाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2

3 उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

4 उप मण्डल अधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

5 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 शिमला—9

6. श्री तारा चन्द महन्त सहायक निर्देशक द्वारा............

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "A"

(पैरा संख्या–1 (घ) में सन्दर्भित)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2011

1	पैरा–5 (क) 8 (क)	अनिर्णीत	
2	पैरा–5 (क) 8 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–5 (क) 8 (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा–5 (क) 9 (क)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में कर ली गई है।)
5	पैरा–5 (क) 9 (ख)	निर्णीत	(सम्बन्धित स्टॉक इन्द्राज की पुष्टि कर ली गई है)
6	पैरा–5 (क) (17)	अनिर्णीत	
7	पैरा–5 (ख) 2 (ख)	पूर्व में निर्णीत	–
8	पैरा–5 (ग) 12 (ख)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है)
9	पैरा–5 (ग) 14 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
10	पैरा–6 (क) (3)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की जांच कर ली गई है)
11	पैरा–6 (क) (4)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
12	पैरा–6 (क) (5)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
13	पैरा–6 (क) 11 (ग)	अनिर्णीत	
14	पैरा–6 (क) (15)	अनिर्णीत	
15	पैरा–6 (क) (23)	निर्णीत	(वर्तमान में अंकेक्षण सुझाव अनुसार कार्यवाही की जा रही है)
16	पैरा–6 (ग) (1)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
17	पैरा–6 (घ) (1)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)

18	पैरा–6 (घ) (4)	निर्णीत	(–यथोपरि–)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2002 से 12/2002

1	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (8)	निर्णीत	(संस्था द्वारा की गई कार्यवाही के अनुरूप पैरा निर्णीत)
3	पैरा–6.(10)(क)	निर्णीत	(विद्युत विभाग द्वारा औसत दर पुरानी मीटर रीडिंग के आधार पर लगाई गई)
4	पैरा–6 (10) (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा–6 (13)	अनिर्णीत	
6	पैरा–6 (15)	अनिर्णीत	
7	पैरा–6 (23)	अनिर्णीत	
8	पैरा–6 (27)	अनिर्णीत	
9	पैरा–6 (31)	अनिर्णीत	
10	पैरा–6 (49)	निर्णीत	(इसी प्रकार का पैरा अंकेक्षण प्रतिवेदन
11	पैरा–6 (50)	निर्णीत	अवधि 1/01 से 12/01 पैरा 6 (क) (3) निर्णीत किया गया है। अतः पैरा निर्णीत सम्बन्धित अभिलेख दर्शा दिया गया है)
12	पैरा–6.54	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2003 से 12/2003

1	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (1) (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (4)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
4	पैरा–6 (9) (ख)	निर्णीत	(स्टॉक इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर एस0आर0 3 पेज 480 में कर दिया गया है)
5	पैरा–6 (12) (क)	अनिर्णीत	
6	पैरा–6 (12) (ख)	अनिर्णीत	

7	पैरा–6 (12) (ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा–6 (14) (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा–6.14 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–6 (16)	अनिर्णीत	
11	पैरा–6 (18) (क)	अनिर्णीत	
12	पैरा–6 (18) (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा–6 (21)	निर्णीत	(विद्युत मीटर से अन्य भवनों व स्ट्रीट लाईट Point हेतु भी विद्युत के आपूर्ति की जाती है)
14	पैरा–6 (25)(क, ख, ग)	पूर्व में निर्णीत	
15	पैरा–6 (32)	अनिर्णीत	
16	पैरा–6 (33) (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा–6 (33) (ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा–6 (35)	अनिर्णीत	
19	पैरा–6 (36) (ख)	अनिर्णीत	
20	पैरा–6 (43)	निर्णीत	(कर्मचारी की सेवायें संस्था द्वारा नियमित कर ली गई है)
21	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2004 से 12/2004

1	पैरा–5.3	निर्णीत	(रसीद संख्या 16423 दिनांक 2.11.12 द्वारा ₹900/–की वसूली की गई)
2	पैरा–6.1 (क)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
3	पैरा–6.1 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा–6.1 (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा–6.1 (घ)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
6	पैरा–6.1 (ङ)	निर्णीत	(–यथोपरि–)

7	पैरा–6.1 (च)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
8	पैरा–6.2 (क)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
9	पैरा–6.4 (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा–6.4 (ख)	निर्णीत	(दूरभाष नं0 223776 सुझावानुसार बन्द करवा दिया गया है व ₹10/–की वसूली रसीद संख्या 16424 दिनांक 2.11.12 द्वारा की)
11	पैरा–6.4 (ग)	निर्णीत	(अंकेक्षण सुझावानुसार आपेक्षित कार्यवाही कर दी गई है)
12	पैरा–6.6 (ग)	निर्णीत	(रसीद संख्या 16426 दिनांक 2.11.12 द्वारा ₹644 की वसूली की गई)
13	पैरा–6.7 (क)	अनिर्णीत	
14	पैरा–6.7 (ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा–6.7 (ग)	अनिर्णीत	
16	पैरा–6.7 (घ)	निर्णीत	(रसीद संख्या 16420 दिनांक 2.11.12 द्वारा ₹500/–की वसूली की)
17	पैरा–6.8	निर्णीत	(सुझावानुसार कार्यवाही कर दी गई है)
18	पैरा–6.9 (क)	अनिर्णीत	
19	पैरा–6.9 (ख)	अनिर्णीत	
20	पैरा–6.9 (ग)	अनिर्णीत	
21	पैरा–6.9 (घ) 1	अनिर्णीत	
22	पैरा–6.9 (घ) 2	अनिर्णीत	
23	पैरा–6.9 (ङ)	अनिर्णीत	
24	पैरा–6.9 (च)	अनिर्णीत	
25	पैरा–6.9 (छ)	अनिर्णीत	
26	पैरा–6.9 (ज)	अनिर्णीत	
27	पैरा–6.9 (झ) 1	अनिर्णीत	
28	पैरा–6.9 (झ) 2	अनिर्णीत	

29	पैरा—6.11	अनिर्णीत	
30	पैरा—6.13	अनिर्णीत	
31	पैरा—6.14 (क)	अनिर्णीत	
32	पैरा—6.14 (ख)	अनिर्णीत	
33	पैरा—6.15 (क)	अनिर्णीत	
34	पैरा—6.15 (ख)	अनिर्णीत	
35	पैरा—6.19 (क)	अनिर्णीत	
36	पैरा—6.19 (ख)	अनिर्णीत	
37	पैरा—6.20 (ख)	अनिर्णीत	
38	पैरा—6.20 (ग)	अनिर्णीत	
39	पैरा—6.21	अनिर्णीत	
40	पैरा—6.22	निर्णीत	(विद्युत विभाग द्वारा औसत दर प्रति मीटर रीडिंग के आधार पर लगाई गई)
41	पैरा—6.23	अनिर्णीत	
42	पैरा—6.26 (ख)	निर्णीत	(रसीद संख्या 16427 दिनांक 2.11.12 द्वारा ₹618/—जमा किये गये)
43	पैरा—6.26 (ग)	निर्णीत	(पैरा 6.26 (ख) के अनुसार)
44	पैरा—6.27 (क)	अनिर्णीत	
45	पैरा—6.27 (ख)	अनिर्णीत	
46	पैरा—6.27 (ग)	अनिर्णीत	
47	पैरा—6.27 (घ)	अनिर्णीत	
48	पैरा—6.27 (ङ) 1	अनिर्णीत	
49	पैरा—6.27 (ङ) 2	अनिर्णीत	
50	पैरा—6.27 (ङ) 3	अनिर्णीत	
51	पैरा—6.27 (च) 1	अनिर्णीत	
52	पैरा—6.27 (च) 2	अनिर्णीत	
53	पैरा—6.27 (च) 3	अनिर्णीत	
54	पैरा—6.27 (च) 4	अनिर्णीत	

55	पैरा—6.27 (छ) 1	अनिर्णीत	
56	पैरा—6.27 (छ) 2	अनिर्णीत	
57	पैरा—6.27 (छ) 3	अनिर्णीत	
58	पैरा—6.27 (ज) 1	अनिर्णीत	
59	पैरा—6.27 (झ) 1	अनिर्णीत	
60	पैरा—6.27 (झ) 2	अनिर्णीत	
61	पैरा—6.28	अनिर्णीत	
62	पैरा—6.34	निर्णीत	(विद्युत विभाग द्वारा औसत दर पुरानी मीटर रीडिंग के आधार पर लगाई गई)
63	पैरा—6.43	अनिर्णीत	
64	पैरा—6.45	अनिर्णीत	
65	पैरा—6.46	अनिर्णीत	
66	पैरा—6.47	निर्णीत	(आवश्यक अभिलेख की जांच कर ली गई है)
67	पैरा—6.50 (क)	अनिर्णीत	
68	पैरा—6.50 (ख)	अनिर्णीत	
69	पैरा—6.57	अनिर्णीत	
70	पैरा—6.60	निर्णीत	(रसीद संख्या 16428 दिनांक 2.11.12 द्वारा ₹660/—जमा किये गये)
71	पैरा—6.64	अनिर्णीत	
72	पैरा—6.66	निर्णीत	(आवश्यक अभिलेख की जांच कर ली गई है)
73	पैरा—6.71 (क)	अनिर्णीत	
74	पैरा—6.71 (ख)	अनिर्णीत	
75	पैरा—6.71 (ग) 1	अनिर्णीत	
76	पैरा—6.71 (ग) 2	अनिर्णीत	
77	पैरा—6.72	निर्णीत	(की गई कार्यवाही का अवलोकन कर लिया गया है)

78	पैरा–6.74	अनिर्णीत	
79	पैरा–6.75	अनिर्णीत	
80	पैरा–6.76	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की जांच कर ली गई है)
81	पैरा–6.77	निर्णीत	(–यथोपरि–)
82	पैरा–6.78	पूर्व में अंशतः निर्णीत	
83	पैरा–6.79 (क)	अनिर्णीत	
84	पैरा–6.79 (ख)	अनिर्णीत	
85	पैरा–6.81 (क)	निर्णीत	(सेवा पंजिका में आवश्यक इन्द्राज किया गया है)
86	पैरा–6.81 (ख)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की जांच कर ली गई है)
87	पैरा–6.84	निर्णीत	(–यथोपरि–)
88	पैरा–6.86 (क)	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर के आधार पर)
89	पैरा–6.86 (ख)	अनिर्णीत	
90	पैरा–7.1	अनिर्णीत	
91	पैरा–7.2	अनिर्णीत	
92	पैरा–7.3	अनिर्णीत	
93	पैरा–7.4	अनिर्णीत	
94	पैरा–7.5	अनिर्णीत	
95	पैरा–8.6	निर्णीत	(संस्था द्वारा की गई कार्यवाही के अनुरूप जांच कर ली गई है)
96	पैरा–9.1	निर्णीत	(–यथोपरि–)
97	पैरा–9.2	अनिर्णीत	
98	पैरा–9.3	अनिर्णीत	
99	पैरा–9.5	अनिर्णीत	
100	पैरा–9.7	निर्णीत	(संस्था द्वारा की गई कार्यवाही की जांच कर ली गई है)

101	पैरा–10.7	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2005 से 12/2005

1	पैरा–5.4	अनिर्णीत	
2	पैरा–5.5 (क)	पूर्व में निर्णीत	(अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरों पूर्व में अनुभाग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया गया था)
3	पैरा–5.5 (ग) 1	पूर्व में निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा–5.5 (ग) 2	पूर्व में निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा–5.5 (ग) 3	पूर्व में निर्णीत	(–यथोपरि–)
6	पैरा–5.5 (ग) 4	पूर्व में निर्णीत	(अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा पहले ही अनुभाग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जा चुका था)
7	पैरा–9	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र दर्शा दिया गया है)
8	पैरा–11	अनिर्णीत	
9	पैरा–13	अनिर्णीत	
10	पैरा–16	अनिर्णीत	
11	पैरा–18.1	निर्णीत	(दरों की सूची का अवलोकन करने उपरान्त)
12	पैरा–18.2	निर्णीत	(APR देखों उपरान्त)
13	पैरा–21.1	अनिर्णीत	
14	पैरा–21.2	अनिर्णीत	
15	पैरा–22	अनिर्णीत	
16	पैरा–25.1	अनिर्णीत	
17	पैरा–25.2	अनिर्णीत	
18	पैरा–25.3	अनिर्णीत	
19	पैरा–27	अनिर्णीत	
20	पैरा–28.1	अनिर्णीत	

21	पैरा—28.2	अनिर्णीत
22	पैरा—28.3	अनिर्णीत
23	पैरा—29.1	अनिर्णीत
24	पैरा—29.2	अनिर्णीत
25	पैरा—30.1	अनिर्णीत
26	पैरा—30.2	अनिर्णीत
27	पैरा—30.3	अनिर्णीत
28	पैरा—30.4	अनिर्णीत
29	पैरा—30.5	अनिर्णीत
30	पैरा—31	अनिर्णीत
31	पैरा—32.1	अनिर्णीत
32	पैरा—32.2	अनिर्णीत
33	पैरा—32.4	अनिर्णीत
34	पैरा—32.5	अनिर्णीत
35	पैरा—32.6	अनिर्णीत
36	पैरा—33	अनिर्णीत
37	पैरा—38.1	अनिर्णीत

अकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2006 से 12/2006

1	पैरा—6	निर्णीत	(श्री रोशन लाल द्वारा मन्दिर खाता संख्या 40 (UCO Bank) में दिनांक 12.7.12 को ₹1750/—जमा किये गये व रत्न चन्द द्वारा ₹1750/—रसीद सं0 17068 दिनांक 23.11.12 द्वारा जमा किये गये)
2	पैरा—7	अनिर्णीत	
3	पैरा—8	अनिर्णीत	
4	पैरा—10.1	अनिर्णीत	

5	पैरा–10.2	निर्णीत	(सम्बन्धित लाग बुक दर्शा दी गई है)
6	पैरा–12.1 (क)	अनिर्णीत	
7	पैरा–12.2	अनिर्णीत	
8	पैरा–13	अनिर्णीत	
9	पैरा–14	अनिर्णीत	
10	पैरा–15	अनिर्णीत	
11	पैरा–20	निर्णीत	(स्टॉक रजि0 नं0 5 पृ0 454 के अवलोकन पर)
12	पैरा–22.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2007 से 12/2007

1	पैरा–5 (क)	निर्णीत	(पैरा अपडेटिड)
2	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा–7	अनिर्णीत	
5	पैरा–9	अनिर्णीत	
6	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	
7	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत	
9	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा–14	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की जांच की गई है)
12	पैरा–15	अनिर्णीत	
13	पैरा–16	अनिर्णीत	
14	पैरा–17	अनिर्णीत	
15	पैरा–20	अनिर्णीत	
16	पैरा–21.2	अनिर्णीत	

17	पैरा–22	अनिर्णीत	
18	पैरा–25	निर्णीत	(पैरा अपडेटिड)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2008 से 12/2008

1	पैरा–5.2	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (क)	निर्णीत	(₹60.00 की वसूली रसीद संख्या 17675 दिनांक 13.12.12 द्वारा कर ली गई है)
3	पैरा–6 (ख)	निर्णीत	(₹180.00 की वसूली रसीद संख्या 17675 दिनांक 10.12.12 द्वारा कर ली गई है)
4	पैरा–7	अनिर्णीत	
5	पैरा–10	अनिर्णीत	
6	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	
7	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा–12	अनिर्णीत	
9	पैरा–13	अनिर्णीत	
10	पैरा–14	अनिर्णीत	
11	पैरा–18	अनिर्णीत	
12	पैरा–19	अनिर्णीत	
13	पैरा–20 (क)	अनिर्णीत	
14	पैरा–20 (ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा–21	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
16	पैरा–22	अनिर्णीत	
17	पैरा–25 (क)	अनिर्णीत	
18	पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा–26	अनिर्णीत	
20	पैरा–29	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख का

			अनुरक्षण किया जा रहा है)
21	पैरा—30	निर्णीत	(पैरा अपडेटिड)
22	पैरा—33.1	निर्णीत	(पूर्व में निर्णीत किया गया है)
23	पैरा—33.2	निर्णीत	(पैरा अपडेटिड (Para updated))

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2009 से 12/2009

1	पैरा—8	अनिर्णीत	
2	पैरा—10	अनिर्णीत	
3	पैरा—11 (क)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख दर्शा दिये गये है)
4	पैरा—11 (ग) 1	अनिर्णीत	
5	पैरा—11 (ग) 2	अनिर्णीत	
6	पैरा—11 (ग) 3	अनिर्णीत	
7	पैरा—12	अनिर्णीत	
8	पैरा—13	अनिर्णीत	
9	पैरा—17	निर्णीत	(सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र दर्शा दिये गये है)
10	पैरा—18 (i)	अनिर्णीत	
11	पैरा—18 (ii)	अनिर्णीत	
12	पैरा—18 (iii)	अनिर्णीत	
13	पैरा—19	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की जांच कर ली गई है)
14	पैरा—21	पूर्व में अशंतः निर्णित	
15	पैरा—23	अनिर्णीत	
16	पैरा—24	अनिर्णीत	
17	पैरा—26	अनिर्णीत	

18	पैरा–27 (क)	अनिर्णीत	
19	पैरा–27 (ख)	अनिर्णीत	
20	पैरा–29	निर्णीत	(पैरा अपडेटिड (Para updated))
21	पैरा–30	निर्णीत	(पैरा अपडेटिड)
22	पैरा–36 (क)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2010

1	पैरा–3	निर्णीत	(83600/–अंकेक्षण शुल्क चैक सं0 821650 (यूको बैंक) दिनांक 22.3.12 द्वारा जमा किया गया)
2	पैरा–4.3	निर्णीत	(अंकेक्षण सुझावानुसार कार्यवाही की जा रही है)
3	पैरा–4.4	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण उपरान्त)
4	पैरा–4.5	निर्णीत	(अंकेक्षण सुझावानुसार कार्यवाही की जा रही है)
5	पैरा–5.1	अनिर्णीत	
6	पैरा–5.2	अनिर्णीत	
7	पैरा–5.2 (क)	अनिर्णीत	
8	पैरा–5.2 (ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा–5.2 (ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा–7.2	अनिर्णीत	
11	पैरा–7.3	अनिर्णीत	
12	पैरा–9	निर्णीत	(मौके पर वर्तमान अंकेक्षण में पैरे का निपटारा किया गया है)
13	पैरा–10.1	निर्णीत	(पैरा अपडेटिड)
14	पैरा–10.2	अनिर्णीत	
15	पैरा–10.3	अनिर्णीत	
16	पैरा–10.4	अनिर्णीत	
17	पैरा–10.5 (क)	अनिर्णीत	
18	पैरा–10.5 (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा–10.6	अनिर्णीत	

20	पैरा–10.7	अनिर्णीत	
21	पैरा–10.8	अनिर्णीत	
22	पैरा–10.9	अनिर्णीत	
23	पैरा–10.10	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है)
24	पैरा–10.11	अनिर्णीत	
25	पैरा–10.12	अनिर्णीत	
26	पैरा–10.13	अनिर्णीत	
27	पैरा–11.1	निर्णीत	(गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्वतः निर्णीत)
28	पैरा–11.2	निर्णीत	(–यथोपरि–)
29	पैरा–11.3	निर्णीत	(–यथोपरि–)
30	पैरा–12	निर्णीत	(गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्वतः निर्णीत)
31	पैरा–13 (i)	निर्णीत	(रसीद सं0 17008 दिनांक दिनांक 16.11.12 द्वारा ₹20/–जमा किये गये)
32	पैरा–13 (ii)	निर्णीत	(अंकेक्षण सुझावानुसार वर्तमान में कार्यवाही की जा रही है)
33	पैरा–13 (iii) (क)	निर्णीत	(रसीद संख्या 17014 दिनांक 17.11.12 द्वारा ₹240/– जमा किये गये)
34	पैरा–13.3 (ख)	निर्णीत	(APR देख ली गई है)
35	पैरा–13.4	निर्णीत	(मीटर संख्या DDC-12 यूको बैंक वाले भवन में अन्य कमरों में लगाया गया। यूको बैंक बिजली का बिल स्वयं वहन करता है। बैंक का मीटर नं0 DDC-9 है)
36	पैरा–13.5 (क)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
37	पैरा–13.5 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
38	पैरा–13.6	अंशतः निर्णीत	रसीद सं0 दिनांक राशि द्वारा 15497 15.10.12 500 ₹1500/–जमा किये गये है 17012 17.11.12 500 17013 17.11.12 500
39	पैरा–14.1	निर्णीत	(रसीद संख्या 17085 दिनांक 20.11.12 द्वारा

			₹550 ⁄ –जमा किये गये)
40	पैरा–14.′2	निर्णीत	(स्वीकृति पत्र देखने उपरान्त पत्र संख्या 89 ⁄ TA/Meeting/09 dt 3.3.10)
41	पैरा–14.3	निर्णीत	(बिजली बोर्ड के स्पष्टीकरण अनुसार मीटर जल जाने के कारण Sundry charges वसूल किये गये)
42	पैरा–15	अनिर्णीत	
43	पैरा–16	अनिर्णीत	
44	पैरा–17	अनिर्णीत	
45	पैरा–18.1	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
46	पैरा–18.2	निर्णीत	(–यथोपरि–)
47	पैरा–18.3	निर्णीत	(–यथोपरि–)
48	पैरा–18.4	निर्णीत	(–यथोपरि–)
49	पैरा–19	अनिर्णीत	
50	पैरा–20	निर्णीत	(स्टॉक रजि0 पृ0 7 व 8 की जांच उपरान्त)
51	पैरा–21	निर्णीत	(पैरा अपडेटिड (Para updated))
52	पैरा–22	निर्णीत	(–यथोपरि–)
53	पैरा–23.1	अनिर्णीत	
54	पैरा–23.2	अनिर्णीत	
55	पैरा–23.3	अनिर्णीत	
56	पैरा–23.4	अनिर्णीत	